

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला) ।

Online

वाद सं० एम० 138/2021
धारा 107 दं० प्र० सं०

आदेश
क०
सं० एवं
तिथि

दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

आदेश पर
की गई
कार्रवाई
टिप्पणी
एवं तिथि

1

2

3

थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 02/2022 दिनांक 04/02/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) कृष्णा साहु उम्र 50 वर्ष पिता रंथु साहु ग्राम भागीडेरा, थाना बसिया जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) भोट सिंह उम्र 45 वर्ष पिता स्व० महेश सिंह ग्राम भागीडेरा (2) महाबीर सिंह उम्र 55 वर्ष पिता स्व० महेश सिंह ग्राम सोनमेर (3) मंगु मति देवी उम्र 58 वर्ष पति स्व० विष्णु सिंह सा० बम्बियारी थाना बसिया (4) सोनामती देवी उम्र 35 वर्ष पति मतुल सिंह ग्राम रंगोल थाना पालकोट (5) गोबिंदा देवी उम्र 30 वर्ष पति सुरज सिंह ग्राम सोनमेर (6) जलबती देवी उम्र 58 वर्ष पति लखीनाथ सिंह ग्राम सोनमेर (7) सुरेश सिंह उम्र 36 वर्ष पिता महाबीर सिंह सा० सोनमेर सभी थाना बसिया जिला गुमला (8) मालती देवी उम्र 55 वर्ष पति अर्जून सिंह ग्राम सरिता थाना कामडारा (9) आशामुनी देवी उम्र 38 वर्ष पति अमरनाथ सिंह ग्राम गोरसोध थाना रनियाँ जिला खुंटी (10) अवधेश कुमार सिंह उम्र 26 वर्ष पिता अमरनाथ सिंह ग्राम गोरसोध थाना रनियाँ जिला खुंटी (11) अमरनाथ सिंह उम्र 58 वर्ष पिता स्व० मनु सिंह ग्राम गोनसोध थाना रनियाँ जिला खुंटी (12) मनभरन सिंह उम्र 38 वर्ष पिता यदुनाथ सिंह सा०+थाना बसिया जिला गुमला के बीच खाता सं० 36, प्लॉट सं० 401 रकबा 0.16 एकड़ भूमि में जो प्रथम पक्ष के द्वारा खरीदगी भूमि में लगे फसल को नष्ट करने एवं बास घेरा को आग लगाने को लेकर आपसी विवाद के कारण तनाव है। फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा अशांति फैलाने की सम्भावना है।

अतः मैं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया उक्त प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर धारा 107 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ करता हूँ। उभय पक्ष के विरुद्ध कारण पृच्छा नोटिस निर्गत करें।

उभय पक्ष दिनांक 04/03/2022 को समय 11:00 को न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं आपलोग से 5000 (पाँच हजार) रुपये एवं उतने ही राशि के दो प्रतिभूति के साथ एक साल तक शांति कायम हेतु बंध पत्र लिया जाए।

दिनांक 04/03/2022 को रखें।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

04/3/22 प्रभिलेख उपस्थिति

उभय पक्ष के प्रति नोटिस का
मेलने के निमित्त तदालय प्रतिवेदन अपना है
अर्थात् 16/3/22 को रखें।